

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : ओमप्रकाश विश्‍नोई, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 20/2021

प्रार्थी-

राजस्थान सरकार जरिये
खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थी-

मुकेश कुमार पुत्र मोहनलाल
जाति श्रीमाली निवासी राणा
प्रताप बाजार गुड़ामालानी जिला
बाड़मेर
(मैसर्स शुभलक्ष्मी दूध डेयरी
गुड़ामालानी जिला बाड़मेर का
मालिक)

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 51 खाद्य सुरक्षा
एवं मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :-

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री श्रवण कुमार, अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 30.03.2021

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 51 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अप्रार्थी की फर्म मैसर्स शुभलक्ष्मी दूध डेयरी गुड़ामालानी जिला बाड़मेर पर निरीक्षण दिनांक 07.11.2020 को विक्रय हेतु रखा गया खाद्य पदार्थ दही (खुला) जो कि एक बर्तन में 10 किलोग्राम भरा हुआ पाया, को मिलावट का होने के शक पर नियमानुसार 800 ग्राम दही (खुला) वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या पी-1264 अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र-5(ए) भरकर अप्रार्थी एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ दही (खुला) का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ दही (खुला) का नमूना अवमानक (Sub-standard) पाये जाने पर



न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

अप्रार्थी को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थी द्वारा कोई जवाब ऐतराज प्रस्तुत नहीं किया गया। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।


2. अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा परिवाद का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ दही में किसी प्रकार की मिलावट नहीं की गई है तथा न ही किसी भी प्रकार की जनहानि या नुकसान हुआ है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी के प्रतिष्ठान से स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति में सैम्पल नहीं लिया है जिस कारण उक्त सैम्पल की रिपोर्ट पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। बाड़मेर में गाय व भैंसों को सूखा चारा व रासायनिक मिक्स दाला खिलाया जाता है जिस कारण दूध में फैट की मात्रा कम आती है और इसी कारण प्रार्थी के प्रतिष्ठान से लिए गए दही के सैम्पल में फैट की मात्रा कम पाई गई है। अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी व अन्य किसी को नुकसान नहीं दिया है और न ही इससे कोई अनुचित लाभ प्राप्त किया है। अप्रार्थी धारा 49 में वर्णित क्लॉज में का लाभ प्राप्त करने का हकदार है लिहाजा अप्रार्थी के विरुद्ध कार्यवाही ड्रॉप कर प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र खारिज फरमाया जावे।
3. हमने प्रस्तुत परिवाद पर उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी में माना गया है। अप्रार्थी के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक 10.12.2020 में उक्त नमूना अवमानक (Sub-standard) खाद्य का पाया गया है। इस पर अप्रार्थी को पदाभिहीत अधिकारी द्वारा नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया इसके बावजूद अप्रार्थी द्वारा कोई जवाब/उजर प्रस्तुत नहीं किया गया। यह परिवाद प्रस्तुत होने पर जरिये नोटिस जवाब हेतु अप्रार्थी को तलब किया गया, जिस पर उसके द्वारा प्रतिरक्षण के रूप में जवाब प्रस्तुत किया गया है कि अप्रार्थी द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ दही में किसी प्रकार की मिलावट नहीं की गई है तथा न ही किसी भी प्रकार की जनहानि या नुकसान हुआ है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी के प्रतिष्ठान से स्वतंत्र



गवाहान की उपस्थिति में सैम्पल नहीं लिया है जिस कारण उक्त सैम्पल की रिपोर्ट पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। बाड़मेर में गाय व भैंसों को सूखा चारा व रासायनिक मिक्स दाला खिलाया जाता है जिस कारण दूध में फैट की मात्रा कम आती है और इसी कारण प्रार्थी के प्रतिष्ठान से लिए गए दही के सैम्पल में फैट की मात्रा कम पाई गई है। इस प्रकार अप्रार्थी के प्रतिष्ठान से विक्रय के आशय से रखा गया खाद्य पदार्थ मानकता के स्तर का नहीं होने से उसकी गुणवत्ता के लिए उसका उत्तरदायित्व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अन्तर्गत अप्रार्थी का है। अप्रार्थी के प्रतिष्ठान से खाद्य पदार्थ का लिया गया नमूना अवमानक पाये जाने के तथ्य का कोई ठोस एवं विधिसम्मत जवाब नहीं है। लिहाजा अप्रार्थी के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्म प्रमाणित हैं।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थी के विरुद्ध अपराध धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर अपराध की गम्भीरता को देखते हुए रूपये 10000/- का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थी उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष में जमा करवाने हेतु भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।
5. आदेश आज दिनांक 30.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(ओमप्रकाश विश्नोई)
न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर